न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-666RAAJodhpur2025-325RTA225 Dharmendra Kishor Vs Mularam etc

धर्मेन्द्र किशोर पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल निवासी झरडासर, छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर (राज०)

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. मूलाराम पुत्र खरथाराम
2. जैसाराम पुत्र खरथाराम
3. शंकरलाल पुत्र खरथाराम
4. रूखमो पत्नी खरथाराम
   जाति मेघवाल निवासी झरडासर, छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर (राज०)
5. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर (राज०)।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 181/2025 अनवान मूलाराम व अन्य बनाम धर्मेन्द्र किशोर इत्यादि

उपस्थित–
श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री कैलाश एन. सारण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2025 अनवान मूलाराम व अन्य बनाम धर्मेन्द्र किशोर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम वास्ते अपील को म्याद में शुमार करने प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 427/4(नवीन खसरा नंबर 1133/427) रकबा 3.6826 हैक्टेयर ग्राम झरडासर तहसील नौखड़ा में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 427 रकबा 6.8392 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र तलब अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक से चार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदातागण के आवदेन में वर्णित अभिवचनो व उसके साथ प्रस्तुत परिशिष्ठ अ मे वर्णित प्रस्तावित रास्ते से हटकर अपने स्तर पर अन्य जगह रास्ता स्वीकृत करने मे नियमो, न्याय व विधि की अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के अध्याय 12 के नियम 69 एवं नियम 70 में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की गई है तथा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों की जांच नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में मूल खसरा नंबर 427 अपीलांट एवं रेस्पो. की संयुक्त खातेदारी का रहा है, जिसमे से अपीलान्ट ने अपना 1/2 हिस्सा अलग कर दिया तथा शेष 1/2 हिस्से मे से विजलाराम के वारिसान् रूघाराम, जेठाराम, हुकमाराम, खरथाराम ने भी अपने हिस्से की भूमि अलग बंटवाडा करवाया था, तब उतरदाता संख्या 01 से 04 के खातेदारी मे 427/4 (नये खसरा न0 1133/427) व अन्य भाईयो की खातेदारी मे 427/2, 427/3 खसरे दर्ज होकर अलग बंटवाडा वाद संख्या 290/2005 हुकमा बनाम धर्मेन्द्र मे दिनाँक 29/03/2007 के निर्णय व डिकी के मार्फत हो गया था। उपरोक्त बंटवाडे के समय उतरदातागण को अपने खते मे से और अन्य सह–खातेदार रुघाराम, जेठाराम, हुकमाराम के बंट मे आई भूमि मे से रास्ता कटाण मार्ग तक सलंग्न नजरी नक्शा मे से बरंग लाल दर्शाया रास्ता रखना चाहिये था। उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अपीलान्ट की भूमि मे से रास्ता नही मांगकर अपने दादा विजलाराम के वारिसान् के खेत मे से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके सम्बंध मे राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2005 मे नियम बनाये है। उपरोक्त धारा मे यह भी प्रावधान किया गया है कि रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता होनी चाहिये। उत्तरदाता स० 01 से 04/प्रार्थीगण के जोत की केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही होनी चाहिये। इस वजह से उतरदाता संख्या 01 से 04/प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये लम्बे रास्ते की मांग नही कर सकते है और न ही रास्ता उपरोक्त उतरदाता स० 01 से 04/प्रार्थीगण के कहे अनुसार अधीनस्थ न्यायालय से लम्बा रास्ता स्वीकृत करवा सकते है जो उक्त प्रावधानो के विपरीत है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन रास्ते से अपीलांट का खेत दो असमान टुकड़ों में विभाजित हो रहा है जो धारा 251–ए की मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को निरस्त करते हुए नये सिरे से मौका रिर्पोट तलब करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते वाले खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए निर्णित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना आवश्यक, उचित एव न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम वास्ते अपील को म्याद शुमार करने पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया। ततःपश्चात अपीलान्ट उपस्थित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ और न ही अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आदेश के बारे मे सूचित ही किया था। दिनाँक 01/12/2025 को उतरदातागण द्वारा अपने पक्ष मे निर्णय होने का कहकर अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकियों दी तो अपीलान्ट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर उक्त निर्णय की नकल दिनॉक 01/12/2025 को मांगी जो नकल अपीलान्ट को उसी दिन प्राप्त हो गई। उक्त नकल प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उसके विरूद्ध निर्णय होने का सर्वप्रथम दिनॉक 01/12/2025 को ज्ञान हुआ। ज्ञान की तिथी से यह अपील 60 दिवस की अवधि के अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम वास्ते अपील को अंदर म्याद करने स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 2948/2019 अनवान थानाराम बनाम मोतीराम में पारित आदेश दिनांक 04.02.2020 एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 की प्रति पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के पश्चात वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट भी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट स्वयं एक सेवानिवृत पटवारी है तथा उसके द्वारा प्रतिकर राशि जमीन के बदले जमीन चाहने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रतिकर राशि भी जमीन के बदले जमीन दी गई है तथा अपीलांट द्वारा इस बाबत अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा केवल रेस्पो. को परेशान करने के लिए हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से प्रस्तुत की गई है जिसका कोई संतोष जनक कारण नहीं बतलाया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं सजरा खानदान अनुसार भूमि मूल खसरा नंबर 427 अपीलांट एवं रेस्पो. की सामलाती खातेदारी की रही है तथा अपीलांट खातेदार चुतराराम का वारिस है तथा रेस्पो. विजलाराम के वारिसान् है। अपीलांट की ओर प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा भूमि का बंटवाड़ा होने के पश्चात भी खातेदार को अपनी पुश्तैनी भूमि के खातेदारों/भाईयों से ही रास्ता लिये जाने के कथन किये गये है। हस्तगत प्रकरण में भी समान परिस्थितियॉ उत्पन्न होने से रेस्पोडेंट्स स्व. विजलाराम के वारिसान् से ही रास्ता लेने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ भी प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को विधिनुसार निस्तारण किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 181/2025 अनवान मूलाराम व अन्य बनाम धर्मेन्द्र किशोर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2025 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मय दूरी जांच रिपोर्ट तलब कर, उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर